संख्या 145 /XXXVIII/12–22/2011

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम,
हल्दी, पंतनगर, उधमसिंह नगर।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादूनः दिनांक 18 **अप्रैल, 2013**

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 284/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक में राज्य जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, के अनुदान संख्या 23 में व्यवस्थित धनराशि में से संलग्न विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में रू0 50,00,000.00 (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न अलोटमेन्ट आई0डी0–H1304230076 के अनुसार प्रथम किश्त आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक –3425, बायोटेक्नोलाजी कार्यक्रम हेतु सहायता, मानक मदों के नामे डाला जायेगा। बजट प्राविधान की धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध कराई गई है कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।

2– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। लेखानुदान के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से कोई योजना अथवा नए निर्माण कार्य पर व्यय कदापि न किया जाए तथा केवल चालू योजनाओं/निर्माण कार्यों पर ही धनराशि व्यय की जाए।

3– निदेशक, द्वारा शासकीय कार्यो हेतु हवाई जहाज से की जानी वाली यात्रा का अनुमोदन शासन से प्राप्त होने के उपरान्त किया जाय।

4– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे मद में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुवल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन हो अर्थात आवंटित धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाएगा। उक्त आदेशों का अनुपालन न होने की दशा में आहरण–वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5–माह में किए गए कार्यों का प्रमाण पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवंटित धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र तथा किए गए कार्यों एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और महालेखाकार से समय–समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाएगा।

6–वर्ष के अन्त में कुल आवंटित धनराशि उक्तानुसार इंगित योजनाओं के सापेक्ष योजनावार अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अधीन ही व्यय की जाएगी एवं व्यय करने से पूर्व केन्द्र द्वारा सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यों हेतु कार्ययोजना/Bench marks पर तथा तदनुसार व्यय हेतु अनुमोदन प्राप्त कर शासन से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। यदि उक्त इंगित किन्हीं योजनाओं में अधिक व्यय किया जाना प्रस्तावित हो अथवा अन्य योजनाओं/मदों में व्यय प्रस्तावित हो तो उस हेतु भी उक्तानुसार शासन से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

7–स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2014 तक करते हुए प्रत्येक माह का **बी0एम0–13** शासन को उपलब्ध कराया जायगा।

8–उक्त आदेश वित्त विभाग शासनादेश संख्या 284/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2013 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– अलोटमेंन्ट आई0डी0– H1304230076

भवदीय,

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्या 145 (1)/XXXVIII/12–22/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त अनुभाग–5
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

9/1/2014

(धर्मानन्द जोशी)
अनुसचिव।